

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल

नोट : मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे
मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना 2012 के अंतर्गत
आवेदन सह आदेश-पत्र

1. पंजीयन क्रमांक
2. आवेदिका का नाम
3. वैयक्तिक पहचान-पत्र (आधार नंबर
/ बीपीएल कार्ड / राशनकार्ड नं०)
4. पिता का नाम
5. आवेदिका की आयु
6. आवेदिका का व्यवसाय
7. आवेदक की वार्षिक आय (वार्षिक आय रुपये 50
हजार से अधिक न हो)
8. पत्र व्यवहार का पता
9. घोषणा : मैं सत्यनिष्ठा से वचन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। असत्य पाये जाने की दशा में रिक्शा-सायकल वापस करने का वचन देती हूँ।

आवेदिका के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरान्त उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृति किया जाता है। स्वीकृति की दशा में योजना का नाम के अंतर्गत रिक्शा-सायकल दिनांक द्वारा श्री को वितरित किया गया।

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

स्थान :
दिनांक :

पावती

लेडिस सायकल दिनांक को प्राप्त किए गए।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पता

दिनांक :

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. हिताधिकारी श्रमिक स्वयं आवेदिका होने पर परिचय-पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करें।
2. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाये। मूल परिचय-पत्र सायकल का इन्द्राज कर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र में छायाप्रति की मांग नहीं की जानी आवेदक द्वारा दर्शाए विवरण की स्थल जांच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात् ही सहायता राशि स्वीकृत की जायेगी।
3. आवेदक की वार्षिक आय रुपये 50 हजार अथवा उससे कम हो तथा 2.50 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होने पर योजना का लाभ मिलेगा।